



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]
No. 486]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2007/कार्तिक 16, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2007/KARTIKA 16, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 694(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के नियम 4.09 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सतर्कता आदेश को सफेद कागज पर नीले या काले फॉन्ट में या टंकित रूप में या कम्प्यूटर से तैयार किया जाएगा और फॉर्म के ऊपर उपयुक्त फॉन्ट साइज बोल्ड अक्षरों में "सतर्कता आदेश" स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा ताकि उस पर ध्यान आकर्षित हो और उस पर पूरे हस्ताक्षर किए जाएं।'

[सं. 2007/संरक्षा (दुर्घ. एवं नि.)/19/3]

वी. एन. माथुर, सदस्य (यातायात) एवं पदेन सचिव

टिप्पण :—मूल नियम 1976, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा

प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

- (1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
- (2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
- (3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
- (4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
- (5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
- (6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
- (7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
- (8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
- (9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
- (10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
- (11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,
- (12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
- (13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,
- (14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,
- (15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,
- (16) सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002,
- (17) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002,
- (18) सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006,
- (19) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
- (20) सा.का.नि. 477(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006, और
- (21) सा.का.नि. 311(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2007

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in rule 4.09, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
- (3) The Caution Order referred to in sub-rule (1) shall be on white paper in blue or black font or typed or made out on computers with the words "CAUTION ORDER" written on top of the form in bold letters of appropriate font size to draw attention distinctly and signed in full.

[No. 2007/Safety (A&R)/19/3]

V.N. MATHUR, Member (Traffic) and ex-officio Secy.

Note :—The principal rules of 1976 were published *vide* number G.S.R. 445(E), dated 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* number :—

- (1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
- (2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) G.S.R. 245 dated the 23rd May, 1992,
- (6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
- (7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
- (9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,
- (10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
- (11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
- (12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000,
- (13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000,
- (14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000,
- (15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000,
- (16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002,
- (17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002,
- (18) G.S.R. 221(E), dated the 19th April, 2006,
- (19) G.S.R. 476(E), dated the 11th August, 2006,
- (20) G.S.R. 477(E), dated the 11th August, 2006, and
- (21) G.S.R. 311(E), dated the 26th April, 2007.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]
No. 486]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2007/कार्तिक 16, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2007/KARTIKA 16, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 694(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के नियम 4.09 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सतर्कता आदेश को सफेद कागज पर नीले या काले फॉन्ट में या टंकित रूप में या कम्प्यूटर से तैयार किया जाएगा और फॉर्म के ऊपर उपयुक्त फॉन्ट साइज बोल्ड अक्षरों में "सतर्कता आदेश" स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा ताकि उस पर ध्यान आकर्षित हो और उस पर पूरे हस्ताक्षर किए जाएं।'

[सं. 2007/संरक्षा (दुर्घ. एवं नि.)/19/3]

वी. एन. माथुर, सदस्य (यातायात) एवं पदेन सचिव

टिप्पण :—मूल नियम 1976, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के द्वारा

प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

- (1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983,
- (2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
- (3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
- (4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
- (5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
- (6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
- (7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
- (8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
- (9) सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
- (10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
- (11) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,
- (12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
- (13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000,
- (14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000,
- (15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000,
- (16) सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002,
- (17) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2002,
- (18) सा.का.नि. 221(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006,
- (19) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006,
- (20) सा.का.नि. 477(अ), तारीख 11 अगस्त, 2006, और
- (21) सा.का.नि. 311(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007